

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 441]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 नवम्बर 2015—कार्तिक 13, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्र. 24295-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015) को उससे सम्बद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

भगवानदेव इंसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) विधेयक, २०१५

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०१५ है।

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ८४,०७,६५,०४,८४० का दिया जाना।

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये आठ हजार चार सौ सात करोड़ पैसठ लाख चार हजार आठ सौ चालीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी।

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग रुपये
		रुपये	रुपये	रुपये
१२. ऊर्जा	राजस्व	२०,४३,५४,००,०००	०	२०,४३,५४,००,०००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१५,८१,८४,५६,६४०	०	१५,८१,८४,५६,६४०
१७. सहकारिता	पूँजी	३,९०,००,००,०००	०	३,९०,००,००,०००
२२. नगरीय विकास एवं पर्यावरण	पूँजी	०	४०,२३,०००	४०,२३,०००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	६८,२५,२००	०	६८,२५,२००
३६. परिवहन	पूँजी	३०,००,००,०००	०	३०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)
	रुपये	रुपये
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
	पूंजी	१,२०,००,००,०००
५७. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	२९,००,००,०००
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	३३,२८,००,००,०००
६४. अनुसूचित जाति उपयोजना	पूंजी	९०,००,००,०००
७४. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	७,९४,१८,००,०००
योग { राजस्व : ७७,४८,२४,८१,८४० पूंजी : ६,५९,००,००,०००		७७,४८,२४,८१,८४० ४०,२३,००० ६,५९,४०,२३,०००
वृहद योग :	८४,०७,२४,८१,८४०	४०,२३,००० ८४,०७,६५,०४,८४०

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुराख्यापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ४ नवम्बर, २०१५.

जयन्त मलैया
भारसाधक सदस्य।

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।